बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संचिका सं0–17/विविध 1–47/2017 ..../स्वा0/स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–74(2) दिनांक–25.01.2017 के आलोक में सुचारू रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित रखने हेतु कार्यहित/छात्रहित में संविदा के आधार पर सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा लिये गए साक्षात्कार के उपरांत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर कार्यहित में शिशु–सर्जरी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रिक्त दो (02) पदों पर कुल 02 (दो) चिकित्सकों को संविदा के आधार पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष अथवा एम०सी०एच० डिग्रीधारी उपलब्ध होने तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियत मानदेय पर निम्न प्रकार से नियोजित एवं पदस्थापित किया जाता है :–

पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

क्र0	नाम	आरक्षण कोटि	विभाग
1.	डा० देवेन्द्र प्रसाद	पिछड़ा वर्ग	शिशु–सर्जरी विभाग
2.	डा० मीत वर्मा	सामान्य	शिशु–सर्जरी विभाग

2. संविदा पर नियोजित चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरंत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करेंगे।

3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य योगदान स्वीकृति के पूर्व अभ्यर्थी की अर्हता, चारित्री, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं योग्यता की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे अन्यथा किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति के लिए प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। प्राचार्य योगदान के समय एक हजार रूपये के नन ज्यूडिसियल/एधैसिव स्टाम्प पर संबंधित अभ्यर्थी से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे।

4. संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक शिक्षक भविष्य में उक्त नियुक्ति को आधार मानकर नियमित नियुक्ति संबंधी कोई भी दावा नहीं करेंगे।

5. संविदा पर नियोजित चिकित्सक शिक्षक को विभागीय आदेश संख्या–435(17) दिनांक–27.07.2017 में निहित प्रावधान एवं अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आबंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे। संविदा पर नियोजित बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उनके वेतन पर्ची के आधार पर पूर्व से जो वेतन–भत्ते प्राप्त हो रहे थे, उसी के अनुरूप वेतन–भत्ता देय होगा।

6. समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जाएगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

7. आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तद्नुसार संशोधन कर लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–47/2017 – **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/वित्त (वि०वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–47/2017 –　　　　　　पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–47/2017 –　　　　　　पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अवर सचिव,(प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 01,02,03,09,17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी नियोजित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध 1–47/2017 – 344/17 पटना, दिनांक :– 28/5/18

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर, बिहार/ सिविल सर्जन, वैशाली (हाजीपुर), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5/18
सरकार के विशेष सचिव।